

प्रेषक,

श्री. राम कुमार,  
विश्व सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा सं.

4

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र-2, मद्रास केंद्र,  
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विषय 17: अनुदान

तदनुक: दिनांक: 24

विषय:- भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी छात्रावासों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विचार ।

संदर्भ,

विद्यार्थी छात्रावासों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विचार ।  
भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी छात्रावासों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विचार ।  
भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी छात्रावासों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विचार ।

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सहायता का अनुदान-सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 122 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 3090 आध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न बहानों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की कोश नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संरचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संरचना प्राप्त होने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

---2-  
Smt. Sarita Chandra  
Maharishi Vidya Mandir  
Kuchdecha-Bamirpur, U.P. 210301  
Meherichal  
Kuchdecha-Bamirpur (U.P.) 210301

संस्था के लिए सा. शिक्षितार अध्यापकों को राज्यीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

161

कार्यवाहियों की सेवा नहीं बढ़ायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अक्षात्कीय उ०मा० विद्यालयों के कार्यवाहियों के अनुसूच्य वेतनानुवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

171

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

181

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2-

उक्त प्रतिबन्ध का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृत्त या विधि-भंग धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुसूचित प्रमाण पत्र वापस किया जायेगा।

भारतीय,

राज्य सरकार  
विशेष सचिव।

मू० सं०- 9575111/15-7-तह दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, शंतीपुर।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर।
- 4- निरीक्षक, अग्रत भारतीय विद्यालय, उ०मा०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, महर्षि विद्या मंदिर हमीरपुर।

आपका से,

अखिलेश चन्द्र गुप्ता  
अनु सचिव।

Smt. Seroj Verma  
Principal  
Maharshi Vidya Mandir  
Kuchhachha-Lamirpur (U.P.) 210301